राष्ट्रीय सहारा पृ०-12 30-3-16

गेहूं पर आयात शुल्क तीन माह के लिए बढ़ा

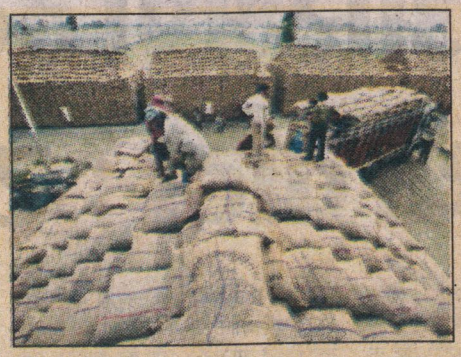

- सरकार ने उत्पादन बढ़ने की उम्मीद में उठाया कदम
- इस फैसले से आयात पर अंकुश लगाने में मिलेगी मदद
- गोदामों में गेहूं के भारी स्टाक के बीच फसल कटाई शुरू

नई दिल्ली (भाषा)। सरकार ने देश में गेहूं आयात पर अंकुश रखने के लिए इस पर 25 फीसद आयात शुल्क तीन महीने और जारी रखने का फैसला किया है। सरकार को उम्मीद है कि इस बार गेहूं का उत्पादन आठ फीसद से ज्यादा बढ़ेगा।

कमजोर मानसून के बावजूद फसल वर्ष 2015-16 में गेहूं उत्पादन 8.42 फीसद बढ़कर नौ करोड़ 38 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। इससे पिछले वर्ष यह आठ करोड़ 65 लाख टन रहा था।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने 28 मार्च को जारी अधिसूचना में कहा है कि गेहूं आयात पर 25 फीसद शुल्क 31 मार्च से आगे 30 जून 2016 तक जारी रहेगा। इसके अलावा घी, मक्खन और बटर आयल पर 40 फीसद बुनियादी सीमा शुल्क भी छह महीने यानी 30 सितम्बर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने गेहूं पर आयात शुल्क जारी रखने की समय सीमा इसलिए बढ़ाई है क्योंकि उसके पास गोदाम में पहले ही काफी स्टॉक जमा है तथा रबी फसल की कटाई का काम भी शुरू हो गया है।

खाद्यान्नों की खरीद और वितरण करने वाली मुख्य एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने इस वर्ष किसानों से 3.05 करोड़ टन गेहूं खरीद करने का लक्ष्य तय किया है। सरकार के केन्द्रीय पूल में एक अप्रैल को सामान्य तौर पर 76 लाख टन का बफर स्टाक होना चाहिये लेकिन केन्द्रीय पूल में गेहूं का मौजूदा स्टाक 1.35 करोड़ टन का है। पिछले एक वर्ष के दौरान एफसीआई ने खुले बाजार अभियान के जरिए 70 लाख टन गेहूं की बिक्री की है।

30-3-16
प्रभारी, समाचार पत्र यूनिट